# बार एसोसिएशन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अवमानना कार्रवाई

- सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा एक जज की कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार करने और एक दिन की हड़ताल के मुद्दे पर अवमानना का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था
- एसोसिएशन ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज की कोर्ट का बॉयकाट करने व न्यायिक बहिष्कार करने के अवमानना मामले में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष व महासचिव पूरी कार्यकारिणी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। एसोसिएशन ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। वहीं यदि कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से शपथ पत्र और बार के प्रस्ताव को भी अदालत में पेश किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने और सीजे पर रोस्टर में बदलाव नहीं करने की भी बात कही गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह व संजीव खन्ना की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन को राहत देते हुए कार्यकारिणी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में अवमानना की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार व बेंच एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच सामंजस्य का होना जरूरी है। वहीं सदैव बेंच सही हो और बार गलत हो, ऐसा होना भी जरूरी नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन भी सही हो सकती है, लेकिन उसके विरोध का तरीका गलत था। वकील विधिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में उन्हें सीजे के समक्ष प्रतिवेदन भी देना चाहिए। वहीं अदालत ने मामले में मध्यस्थता के लिए बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा से भी चर्चा करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ अवमानना के मामले को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में बार व बेंच के बीच होने वाले विवादों के निपटारे के लिए हर हाईकोर्ट में एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी गठित करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी में सीजे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होंगे। इस कमेटी में विवाद का निपटारा नहीं होने पर वकील विधिपूर्वक विरोध दर्ज करा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गत सितंबर माह में जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा एक जज की कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार करने और एक दिन की हडताल करने के मुद्दे पर अवमानना का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया था। मामले में 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान बार पदाधिकारियों ने मामले में माफी मांगने से इंकार करते कहा कि उन्होंने न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं किया है। जबकि रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की बात कही थी। इस पर अदालत नाराज हो गई और बार के अध्यक्ष व महासचिव सहित पदाधिकारियों व सदस्यों को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश कर हाजिर होने का निर्देश दिया था।

## समय पर जवाब पेश नहीं करने पर चिकित्सा विभाग पर हर्जाना

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं देने के मामले में लंबित याचिका में बार-बार समय देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा विभाग पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने को कहा है। वहीं अदालत ने प्रकरण की सुनवाई तीन दिसंबर को तय करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि जवाब पेश नहीं किया गया तो प्रकरण को मेरिट पर सुनकर तय कर दिया जाएगा। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामचरण शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए।

सुनवाई में विभाग के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 14 दिसंबर 2020 को जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था। इसके बाद गत 14 अप्रैल 2021 को फिर से दो सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया गया था।

# 4 जिलों के पंचायती चुनाव में संगठन को मिलेगी टिकट वितरण में तवज्जो

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने गुरूवार को चार जिलों के प्रभारियों की बैठक ली।

- डोटासरा ने उम्मीद जताई कि जिस तरीके से पिछले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, उसी तरीके से इन चुनावों में भी सरकार के बेहतर काम पर जनता मुहर लगाएगी और चारों जिलों में कांग्रेस पंचायती राज चुनाव जीतेगी

**जयपुर**, (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री पद से हटने के बाद अब चार जिलों में पंचायत राज चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके संबंध में गुरुवार को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संबंधित नेताओं और प्रभारी मंत्रियों की बैठक ली।

बताया जा रहा है कि बैठक में तय किया गया है कि टिकट वितरण के काम प्रभारी मंत्री और विधायकों की रायशुमारी के साथ ही टिकट वितरण में अब कांग्रेस संगठन की रायशुमारी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को चार जिलों श्रीगंगानगर, कोटा, बारां और करौली में होने वाले पंचायत राज चुनाव के लिए प्रभारी मंत्रियों के साथ ही संगठन के संभाग प्रभारियों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और जिलों के इंचार्ज के साथ हर पंचायत समिति में 1-1 कोऑर्डिनेटर लगाया जाएगा। ये अगले 3 दिन में अपने जिले और पंचायत समिति में विधानसभा वार जाकर फीडबैक लेंगे। यह फीडबैक विधायक, लोकल लीडर्स, एक्स एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख और संगठन के नेताओं से लिया जाएगा। यह सब पीसीसी की ओर से किया जाएगा। डोटासरा ने कहा कि प्रभारी मंत्री भी जिन जिलों के प्रभारी हैं। वह अपना फीडबैक संगठन को दे देंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से टिकट वितरण हो सके। उन्होंने बताया कि जिलों में जाना, फीडबैक लेना और टिकट वितरण का काम करना अब पूरी तरीके से प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ही किया जाएगा। डोटासरा ने उम्मीद जताई कि जिस तरीके से पिछले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, उसी तरीके से इन चुनावों में भी सरकार के बेहतर काम पर जनता मुहर लगाएगी और चारों जिलों में कांग्रेस पंचायती राज चुनाव जीतेगी।

इस बैठक में चारों जिलों के प्रभारियों के तौर पर मंत्री अशोक चांदना, टीकाराम जूली, बीडी कल्ला और लालचंद कटारिया को शामिल होना था, लेकिन इस बैठक में करौली के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना और बारां के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली शामिल हुए। गंगानगर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के बैठक में नहीं आने पर गोविंद डोटासरा ने कहा कि उनका फोन स्विच ऑफ था। हालांकि लालचंद कटारिया को लेकर गोविंद डोटासरा ने कहा कि उनके परिवार में शादी होने के चलते वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सके।

# जलदाय विभाग के संचालित कार्यों की रैंडम चैकिंग करने के निर्देश

जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने गुरुवार को जल भवन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक को सम्बोधित किया।

- परियोजनाओं में डेडलाइन की सख्ती से पालना हो : महेश जोशी

**जयपुर**, (का.सं.)। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने प्रदेश में विभाग के तहत संचालित होने वाले नियमित अभियानों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों की समयबद्ध रूप से 'रैंडम चैकिंग' सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हैण्डपम्प मरम्मत अभियान, नए हैंडपम्प एवं ट्यूबवेल लगाने तथा जल परिवहन जैसे अभियानों में रैंडम चैकिंग आवश्यक रूप से हो, जिससे यह तय किया जा सके कि कार्य पूर्ण होने के बाद मौके पर जनता को उनका फायदा ठीक प्रकार से मिल रहा है।

डॉ. जोशी गुरुवार को जल भवन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित पहली बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी को किस प्रकार और बेहतर बनाते हुए राज्य में जनहित के सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकते हैं, विभागीय अधिकारी इस दिशा में भी सोचे और अपने सुझाव दें।

जलदाय मंत्री ने कहा कि सभी पेयजल परियोजनाओं में डेडलाइन की सख्ती से पालना की जाए और कार्यों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सामग्री का ही उपयोग हो, इसके लिए मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत बनाते हुए जांच एवं निरीक्षण की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) सहित सभी पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा कर लोगों को लाभांवित करने के लिए और सघन प्रयास किए जाए। उन्होंने प्रदेश में लम्बित पेयजल परियोजनाओं के कार्यों में गैप के बारे में अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

डॉ. जोशी ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद रखें और उनके स्तर से आने वाले समस्त प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होंने आमजन की पेयजल सम्बंधी शिकायतों और समस्याओं को भी पूरी गम्भीरता से लेते हुए उन पर नियमित रूप से त्वरित कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग से सम्बंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं, बजट घोषणाओं तथा अन्य घोषणाओं के कार्यों को समय पर पूरा करने का भी पूरा फोकस हो।

जलदाय मंत्री ने कहा कि कच्ची बस्तियों और कई स्थानों पर लीकेज की वजह से लोगों के उपयोग में आने से अधिक मात्रा में पानी व्यर्थ बह जाता है। प्रदेश में इस प्रकार की स्थितियों को रोकने के लिए हर संभव उपाय किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियंता को अपने क्षेत्र में कहीं पर भी लीकेज के कारण पानी के अपव्यय की सूचना मिले तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। यदि लीकेज का प्रकरण किसी दूसरे अभियंता के क्षेत्र से सम्बंधित हो तो भी आपसी सामंजस्य से उसकी रिपेयर के लिए तत्काल उपाय किया जाए।

## जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के वक्ताओं की दूसरी सूची जारी

**जयपुर**, (का.सं.)। जयपुर लिट.फेस्ट 15वें संस्करण-2022 में हिस्सा लेने वाले 180 वक्ताओं में से फेस्टिवल ने 25 नामों की घोषणा की गई। दूसरी लिस्ट में अखिल कात्याल, एंड्रू लॉनी, अनिंदिता घोष, डेविड मिशेल, डेविड वेनग्रो, एलिफ शफाक, जयराम रमेश, के. सच्चिदानंदन, के मिलर, महफूज़ अनम, मनु एस. पिल्लई, माया जेसनोफ, मोनिका अली, नंदना देव सेन, नौशाद डी. फोर्ब्स, रितु मेनन, रोबर्ट मैकफर्लें, रुपर्ट एवेरेट, रुथ पेडल, सैकत मजुमदार, शेहान करुणातिलक, सोनाली बेंद्रे, तनुज सोलंकी, विद्या दहेजिया और विनोद कापरी सरीखे लेखक शामिल हैं।

जयपुर में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाले वार्षिक जयपुर फेस्टिवल में एक बार फिर से विचारों का ग्रैंडे मैराथन बनने जा रहा है, जहां विविध क्षेत्रों और संस्कृतियों के आदर्शवादी, यथार्थवादी, दूरदर्शी, बौद्धिक और कलम-सेवी हिस्सा लेंगे। लेखक, इतिहासकार और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के को-डायरेक्टर विलियम डेलरिम्पल ने कहा कि हम दुनियाभर से विशेष साहित्यिक प्रतिभाओं को लेकर फिर से वापस आ रहे हैं। लेखिका, प्रकाशक और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की को-डायरेक्टर नमिता गोखले ने कहा कि वक्ताओं की हमारी दूसरी सूची जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल-2022 के वैविध्य और गहनता को दर्शाती है। इसमें भिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और द्वीपों के लेखकों और चिंतकों, स्वपनदर्शी और कर्ताओं को रूबरू ला सकेंगे।

# राजस्थान की मांग के अनुसार कोयला होगा उपलब्ध : अनिल जैन

**जयपुर**, (का.सं.)। केन्द्रीय कोयला सचिव अनिल जैन ने विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के थर्मल तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयले की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्थान को उपलब्ध रेल व रोड किसी भी मोड से कोयले की अधिक से अधिक रैक मंगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

केन्द्रीय कोयला सचिव अनिल जैन गुरुवार को विद्युत भवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल के साथ संबंधित विभागों व संस्थाओं की उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के भावों में तेजी के चलते आयातित कोयला अधिक महंगा होने से आयातित कोयला आधारित इकाइयों में कोयले की मांग में बढ़ोतरी हो गई है। इससे उनकी मांग बढ़ने से स्थानीय कोयला खानों पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश में अभी कोयले का संकट खत्म नहीं हुआ है ऐसे में जहां से भी और जिस माध्यम से भी कोयला उपलब्ध हो, तापीय विद्युत गृहों में भण्डारित कर लिया जाए ताकि कोयले की आसन्न कमी से विद्युत उत्पादन प्रभावित ना हो सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार द्वारा कोयला की आपूर्ति में राजस्थान को पूरा सहयोग दिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव, माइंस एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने प्रभावी तरीके से राज्य का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य के तापीय विद्युत गृहों के लिए कम से कम 20 दिन के कोयला के अग्रिम भण्डारण की आवश्यकता को देखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए। वर्तमान में राज्य के पास औसत सात दिन का स्टॉक भण्डारित हो रहा है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य में लिग्नाईट के विपुल भण्डार है। उन्होंने नेवेली लिग्नाइट से राज्य सरकार के समक्ष ठोस प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश में संयुक्त आधार पर विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को और अधिक बढ़ाया जा सके।

## 17 जिलों में ट्रैफिक पार्कों के निर्माण के लिए 3 करोड़ 74 लाख रुपए मंजूर

**जयपुर**, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ 74 लाख 64 हजार रूपए मंजूर किए हैं। इन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आमजन को मिनी इलेक्ट्रिक व्हीकल अथवा गोल्फ कार्ट के मॉडल, सिग्नल्स, सिम्युलेटर आदि के माध्यम से यातायात के नियमों की जानकारी दी जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों तथा आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापित करने तथा इस कार्य के लिए 16 करोड़ 50 लाख रूपए व्यय करने की बजट घोषणा की थी।

# युवा संसद में युवाओं ने बताया कैसी हो उनकी नीति

- नवीन नीति युवाओं को सशक्त बनाने वाली होगी : चांदना

**जयपुर**, (का.सं.)। युवा मामले और खेल विभाग राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य के युवा वर्ग को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त व सक्षम बने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप नवीन राज्य युवा नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक समग्र नीति के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाए। नीति केवल कागजों में तैयार नहीं होनी चाहिये, बल्कि ऐसी हो जिससे प्रदेश का युवा सशक्त बने।

चांदना राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा गुरूवार को पंचायती राज संस्थान मंस आयोजित युवा संसद को संबोधित कर रहे थे। युवा संसद के तहत नवीन राज्य युवा नीति पर राज्य स्तरीय परिसंवाद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर चांदना ने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं की राज्य तथा राष्ट्र के विकास में भागीदारी बढ़ाने और उनमें कौशल विकास, उद्यमिता तथा सामाजिक मूल्यों के संवर्धन के लिए नवीन युवा नीति लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल डिग्री हासिल करने की मानसिकता से मुक्त होने की जरूरत है। युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। उनके सामने शुरूआत से ही विजन होना चाहिये कि वे क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं।

परिसंवाद में नवीन युवा नीति के मसौदे पर यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी आदि विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं ने भी अपने विचार रखे और नीति को प्रभावी तथा भविष्योन्मुखी बनाने के लिए अपने सुझाव भी दिये। युवाओं ने नई नीति में रोजगारोन्मुखी शिक्षा, बाल विवाह रोकने, नशे से दूरी, कौशल विकास से संबंधित प्रावधानों को जोड़ने का सुझाव दिया। युवाओं ने सुझाव दिया कि नई नीति से बालिका शिक्षा, बालिकाओं में पोषण के स्तर में सुधार का लक्ष्य भी समाहित होना चाहिये।

इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से विशाल राज्य है और यहां अलग अलग स्थानों पर युवाओं की समस्याएं अलग अलग हैं। युवाओं के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है और सरकार सामने चुनौती है कि इन युवाओं को कौशल से कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि युवा रचनात्मक हैं। वे नए विचारों को जन्म देते हैं और रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। नवीन युवा राज्य नीति उनकी इस ऊर्जा को सही दिशा देने वाली होनी चाहिये। इस अवसर पर क्रीड़ा परिषद सचिव राजूलाल गुर्जर, सदस्य सचिव राज्य युवा बोर्ड कैलाश पहाड़िया, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के राज्य निदेशक पवन कुमार अमरावत सहित युवा मामले एवं खेल विभाग तथा राजस्थान युवा बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।


नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।


## उठावना

हमारे पूजनीय
**डॉ. अमोलकचंद जी महता**
पुत्र स्व. श्री सुख चंद जी महता का आकस्मिक निधन दिनांक 25.11.21 को हो गया है। उठावना दिनांक 27.11.21 शनिवार को प्रातः 10.00 से 10.30 बजे तक (आगमन-प्रस्थान), दादाबाड़ी मोती डूंगरी रोड पर रखा गया है।

**शोकाकुल**- निर्मला महता (पत्नी) दीपक-संगीता, राजेश-स्व. नीता (पुत्र-पुत्रवधू) संभव-आदिति (पौत्र-पौत्रवधू) यश-परिधि (पौत्री-पौत्रीदामाद), संस्कृति (पौत्री), मिवान (पड़पौत्र), रतनचंद, दलीप, प्रकाश, सुरेन्द्र, अशोक महता (भ्राता), अमित (भतीजा), कांता-एम.एल. कोठारी, शकुंतला-के.टी. जैन, उषा-उमराव सिंघवी (बहन-बहनोई) कनक, वीरेन्द्र, नरेन्द्र श्रीमाल (भांजे), सुधा-महेन्द्र महता (साली-साढ़ू) ससुराल पक्ष- हरीश, चरित्र एवं सुकलेचा परिवार।


**आम सूचना**
**विश्वजीत डे पुत्र स्व. श्री गोपाल**, जाति बंगाली, निवासी:- मकान नम्बर- 85/365, आर.एच.बी. सेक्टर-8, जोन-85, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर **बनाम प्रीति जैन पत्नी श्री विजय जैन**, जाति-जैन, निवासी:-मकान नम्बर 68/176-बी, सेक्टर-6, जोन-68, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
आप प्रीति जैन को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य विश्वजीत डे के साथ आप द्वारा दिनांक 03.08.2021 को आवासीय भूखण्ड-ए-9-ए, श्रीराम विहार-ए, ग्राम किशनपुरा, पोस्ट जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान का विक्रय इकरारनामा किया था। उक्त इकरारनामें की शर्तों के अनुसार आपको दिनांक 03.08.2021 से 60 दिवस के भीतर अर्थात दिनांक 02.10.2021 तक शेष राशि अदा करते हुए विक्रय इकरारनामे की पालना करनी थी, किंतु संविदा की शर्तों का पालन आप द्वारा नही किया गया और ना ही इस सम्बंध में कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। अतः जरिये अखबार सूचना नोटिस देकर सूचित किया जाता है कि आपका उक्त प्लॉट से सम्बंधित कोई भी विधिक अधिकार दिनांक 02.10.2021 के बाद शेष नही रहा है, उक्त प्लॉट बाबत आप कोई भी संव्यवहार ना करे अन्यथा आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके हर्जे-खर्चे के जिम्मेदार आप स्वंय होगे।
जरिये अधिवक्ता
जयपुर, दिनांक: 25/11/2021 (समीर खान)

**आम सूचना 26.11.21**
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राहुल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामपाल शर्मा निवासी 18, अल्कापुरी-बी, मुरलीपुरा जयपुर का हूँ प्लॉट नम्बर- 55, पश्चिमी हिस्सा, वाके योजना शिव कॉलोनी, मोती बंधा रोड, माचड़ा, जयपुर जो कि 26.66 वर्गगज का है जिस सम्पत्ति पर एचडीएफसी लि. से स्व. रामपाल शर्मा ने ऋण ले रखा था जिसकी पूर्ण अदायगी बैंक को हो चुकी है श्री रामपाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 26.11.2020 को हो चुका है। तथा रामपाल शर्मा की पत्नी प्रमिला शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 06.07.2021 को हो चुका है मेरी बहनों ने मेरे पक्ष में उक्त सम्पत्ति का हक त्याग दिनांक 28.09.2021 को निष्पादित कर दिया है अब उक्त सम्पत्ति का मैं एक मात्र मालिक स्वामी हूँ। इसलिए उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। अतः उक्त सम्पत्ति बाबत् किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंक, जन साधारण विभाग इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा ऐतराज हो तो प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर एचडीएफसी लि. 103/63, मध्यम मार्ग, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर मो.नं. 01412780989 व्यक्तिगत रूप से आपत्ति, ऐतराज मय असल दस्तावेज सहित व्यक्त करें 7 दिवस बाद मियाद आम सूचना बाबत् किसी प्रकार की आपत्ति/ एतराज शून्य समझी जावेगी।
राहुल शर्मा

**NAME CHANGE**
I have changed my name from Nupur Srivastava w/o Azad Sharma to Nupur Sharma w/o Azad Sharma, in future I will be known by this name. G-804, Unique Tower, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur

**खोया पाया**
मेरी दुकान नम्बर 44 सूरज पोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लि. जयपुर पंजीयन संख्या 2735/ एल की योजना श्याम नगर स्थित नारदपुरा रोड का पट्टा खो गया मिलने पर सूचित करें राजेन्द्र प्रसाद मीणा 9772728690

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा. / सार्वजनिक सूचना दिनांक: जोन-6/21/डी-9113 23.11.2021
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री लक्ष्मीकान्त माथुर पुत्र श्री कुवंर बिहारी माथुर द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मुख्तयारआम, अपंजीकृत इकरारनामा व प्रार्थना पत्र के आधार पर दी अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना स्कीम नम्बर 05 (प्रवासी नगर) के भूखण्ड संख्या 113 क्षेत्रफल 116.66 वर्गगज का उपविभाजन/ नियमन/लीजडीड करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 30.08.1992 को श्री सुशील खण्डेलवाल पुत्र श्री मुरलीधर के पक्ष में जारी की गई है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति/ संस्था/ कम्पनी/ सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते हैं। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/ आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवेदक के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।
उपायुक्त जोन-6, ज.वि.प्रा., जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा. / सार्वजनिक सूचना दिनांक: जोन-6/21/डी-9150 25.11.2021
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सीताराम पंवार पुत्र श्री भैरूराम द्वारा आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद व प्रार्थना पत्र के आधार पर श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गणेश नगर III के भूखण्ड संख्या 20 के नियमन/ लीजडीड हेतु आवेदन किया है। समिति द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 28.09.1995 क्षेत्रफल 266.00 वर्गगज की श्री सीताराम पुत्र श्री भैरू के पक्ष में किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति/ संस्था/ कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते हैं। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-6, ज.वि.प्रा., जयपुर

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल**
जे.एल.एन.मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
दूरभाष संख्या-0141-4901853
**आम जाहिर सूचना** राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय ओदश क्रमांक 1689 दिनांक 03.01.2003 जारी कर आवास संख्या -3/339 मालवीय नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्री प्रहलाद राय व्यास के पक्ष में किया गया था। श्री प्रहलाद राय व्यास पुत्र स्व. श्री श्रीवल्लभ जी व्यास के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 05.04.2003 को श्रीमती आलोक मयी मिश्रा के पक्ष में वसीयतनामा का निष्पादन करवाया गया। श्री आलोक मयी मिश्रा पुत्री स्व. श्री आनन्द माधव मिश्रा की मृत्यु दिनांक 28/10/2003 को हो जाने के पश्चात श्री चिन्मय आनन्द मिश्रा पुत्र श्री देवानन्द मिश्रा के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक /संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ताश्री चिन्मय आनन्द मिश्रा पुत्र श्री देवानन्द मिश्रा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक वृत्त तृतीय, रा.आ.मण्डल जयपुर

**आम सूचना** प्लॉट नम्बर, 19, नन्दपुरी कॉलोनी, पुराना रामगढ़ मोड, आमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 143.88 वर्ग गज का आवंटन जवाहरपुरी भवन नि.स.स. लि जयपुर द्वारा श्रीमती संज्या देवी पुत्री श्री ललू रमा सैन को जरिये आवंटन-पत्र दिनांक 30.06.1980 किया गया था, तत्पश्चात दिनांक 02.12.1993 को उक्त भूखण्ड का हस्तानांतरण श्री मोती लाल सोनी पुत्र जसकरण सोनी के पक्ष मे कर दिया गया था। श्री मोती लाल सोनी पुत्र श्री जसकरण सोनी द्वारा उक्त भूखण्ड को दो भागो में विभाजित कर दक्षिणी हिस्से 19-ए को विक्रय आदि करने हेतु मुख्त्यारनामाआम दिनांक 04.09.2002 को श्री बाबू लाल शर्मापुत्र श्री कजोड़मल शर्मा के पक्ष में निष्पादित किया। श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री कजोड़मल शर्मा ने बहेसियत मुख्त्यारआम दिनांक 14.03.2012 को उक्त भूखण्ड संख्या 19-ए का विक्रय श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री अर्जुन लाल शर्मा के पक्ष में कर दिया। श्रीमती कौशल्या देवी का निधन दिनांक 17.03.2021 को होने के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारियों श्री कमलेश , श्री नरेश शर्मा(पुत्र), श्रीमती सुमन शर्मा (पुत्री) द्वारा उक्त भूखण्ड मे अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 23.11.2021 द्वारा श्री अर्जुन लाल शर्मा (पति) के हक मे त्याग कर दिया। अब उक्त सम्पत्ति को श्री अर्जुन लाल शर्माद्वारा बंधक रखा जाकर केनफिन होम लि. से ऋण लिया जा रहा है। यदि उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व या स्व. कोशल्या देवी के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध मे किसी को कोई